प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय मऊ।

आदेश संख्या : 07 **दिनांकः-10.01.2024**

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2024 के नोट संख्या 03 के अनुसार जनपद न्यायाधीश को जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर पांच स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार नोट संख्या 07 के अनुसार यदि द्वितीय शनिवार या रविवार के दिन कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश घोषित है तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश घोषित कर सकते है।

जनपद न्यायालय मऊ में पांच स्थानीय अवकाश एवं वर्ष 2024 में दिनांक 24.03.2024, रविवार को होली व दिनांक 13.10.2024, रविवार को दशहरा पड़ने के स्थान पर अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जाने हेतु, जिलाधिकारी कार्यालय, मऊ से प्राप्त अवकाश विवरण एवं सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त जनपद न्यायालय मऊ में कैलेण्डर वर्ष 2024 हेतु निम्न अवकाश घोषित किये जाते हैः-

स्थानीय अवकाश

1.	मकर संक्रांति	15.01.2024 (सोमवार)
2.	होली	26.03.2024 (मंगलवार)
3.	अलविदा-जुमा	05.04.2024 (शुक्रवार)
4.	रक्षा बंधन	19.08.2024 (सोमवार)
5.	छठ पूजा, ऊषा अर्घ्य	08.11.2024 (शुक्रवार)

अतिरिक्त अवकाश

1.	चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना	09.04.2024 (मंगलवार)
2.	शरद नवरात्रि कलश स्थापना	03.10.2024 (बृहस्पतिवार)

जनपद न्यायालय मऊ के सभी न्यायालय एवं कार्यालय उपरोक्त तिथियों को बन्द रहेगें।

उक्त आदेश जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड की जाए तथा सभी न्यायालयों एवं कार्यालयों में सूचना भेजी जाए एवं आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मऊ एवं पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, मऊ को प्रेषित की जाए।

जनपद न्यायाधीश
मऊ।
DISTRICT JUDGE
MAU

पत्र संख्याः दिनांकःमऊ 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
3. अध्यक्ष/ महामंत्री सिविल सेन्ट्रल बार एसोसिऐशन, मऊ।
4. जिला अभियोजन अधिकारी, मऊ।
5. अधीक्षक, जिला कारागार मऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी ,मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश
मऊ।
DISTRICT JUDGE
MAU